Pairs 2

Q No (3)

Cl. Imp

v. Imp

Done

VIII Paper

Dr. Khalid Husain

Individuals as the Subjects of the international Law

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय कौन है यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। इस प्रश्न के संबंध में मुख्यतः तीन भिन्न विचारधाराएं दृष्टिगोचर होती है। सर्वप्रथम परम्परागत विचारधारा के अनुसार States and States are alone the subject of international law (राज्य और सिर्फ राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं।) दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विधि में Monistic theory (अद्वैतवादी सिद्धांत) के मानने वाले यह विचार व्यक्त करते हैं कि वास्तव में, राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य अन्ततोगत्वा व्यक्ति के ही अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। अतः भी व्यक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय समझे जाने चाहिए। तीसरे, वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश लेखक एवं विधिवेत्ता इन दोनों चरम सिद्धान्तों के मध्य का मार्ग अपनाते हैं। इनके अनुसार यू तो राज्य ही सामान्यतः International Law के विषय होते हैं। परन्तु कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के Subjects के रूप में स्वीकार किया जाता है।

20वी सदी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के परम्परागत सिद्धान्त पर प्रहार किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लेखक एवम् जानकार राज्य के साथ-साथ व्यक्ति को भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम Jessup का है।

उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति राज्य-विहीन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते, सर्वप्रथम हम Stateless Person तथा दोहरी या बहुराष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्तियों (Persons having double nationality or multiple nationality) का उदाहरण पेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मन बाप तथा भारतीय माता का कोई बच्चा ब्रिटिश जहाज पर पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चों को बहुराष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है और यह निर्धारित करना

Scanned with CamScanner

मुश्किल हो जाता है कि वह केवल जर्मन नागरिक है या ब्रिटिश नागरिक। श्री लंका में बसे हुए भारतीय उद्गम के लोगों का उदाहरण ले लिया जाए। श्रीलंका की सरकार भारतीय मूल के वहाँ के दसों हजार को अपना श्रीलंका निवासियों में से नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर चूँकि ये लोग भारत छोड़कर श्री लंका में बहुत पहले जा बसे इसलिए भारत भी उन्हें मैत्रालय नागरिक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को Stateless Persons कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम ऐसे ही लोगों पर लागू होती है और उन्हीं नियमों के माध्यम से इनके जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा होती है।

War Crimes (युद्धापराध) :→

दूसरे व्यक्ति में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में रूपान्तरण के संबंध में हम War Crimes का उदाहरण भी ले सकते हैं। युद्धापराधी युद्ध में भाग लेने वाले वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है, जो वैसे अपराध करने के दोषी पाए जाए, जिन्हें युद्धापराध की संज्ञा दी जाती है। युद्ध सम्बन्धी सर्वमान्य नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति युद्ध अपराधी कहा जाता है और पकड़े जाने पर उसे युद्धबन्दी न मानकर युद्ध अपराधी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम लागू होते हैं। Nuremberg and Tokyo Trials द्वारा जर्मनी एवं जापान के युद्धापराधीयों को दण्डित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया और दण्डित किया जा सकता है। Nuremberg न्यायाधिकरण ने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि "The crimes against the International law are committed by men and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced.

युद्ध अपराध से संबंधित Nuremberg and Tokyo Trials के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए International Law Commission (I.L.C.) ने भी कदम उठाया तथा यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि युद्ध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन कर दोषी पाया जायेगा, तो उसे सजा दी जा सकती है और व्यक्ति इस आधार पर मुक्ति नहीं पा सकता कि उसने यह कार्य अपने सरकार या वरिष्ठ अधिकारी के आज्ञानुसार किया है।

तीसरी परिस्थिति, जब व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं, युद्ध बंदियों से संबंधित है। युद्ध बन्दी वैसे सैनिकों या सैनिक पदाधिकारियों को कहा जाता है जो युद्ध में संलग्न रहने के समय दूसरे मुहारत राज्य के द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें बन्दी बनाने वाला राज्य उनके प्रति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को ही लागू करता है। 1907 के Hague Regulations तथा 1949 जेनेवा Convention में द्वारा प्रतिपादित नियमों को ही युद्ध बंदियों के संबंध में लागू किया जाता है।

चौथी, वैसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि का रूप धारण कर लेता है, जब एक राज्य की ओर से किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध जासूसी करने के दोषी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राज्यों द्वारा पकड़ा जाता है और उन्हीं के द्वारा दण्डित भी किया जाता है परन्तु ये राज्य इनकी जाँच एवं उन्हें दण्डित करने का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधिकार के अन्तर्गत ही करते हैं।

पाँचवें, Piracy (समुद्री डकैती) भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत एक अपराध के रूप में लम्बे समय से स्वीकार की जाती रही है और इस प्रकार Pirates भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। Jessup ने भी जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि Piracy के सम्बन्ध में व्यक्ति की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय तुल्य हो जाती है।

छठे, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों के द्वारा भिन्न - भिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों के रोकथाम के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, उनमें अपराध के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। बच्चों के प्रति अनैतिक व्यवहार तथा दासता व्यवहार पर प्रतिबंध वायुयान पर किए गए अपराधों से सम्बन्धित नियम तथा वायुयान के अवैध अपहरण के दमन संबंधी नियम भी संबंधित अनुबन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में बहुत सारी संधियों एवं अनुबंधों के द्वारा व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 1948 में साधारण सभा द्वारा स्वीकृत Human Rights charter के अनुसार अपने ही राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार International Labour organisation (I.L.O) का एक प्रमुख उद्देश्य अपने ही राज्यों के विरुद्ध मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है। स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्था के विकास के चलते भी व्यक्ति उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय बनता जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत व्यक्ति की स्थिति की अबतक के चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि धीरे- धीरे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का विकास के क्रम में व्यक्ति ही इस विधि का विषय होता जा रहा है वर्तमान समय में राज्यों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं व्यक्ति भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन गए है। आज अन्तर्राष्ट्रीय विधि की यह परम्परागत परिभाषा मान्य नहीं रह गई है वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि आज प्रत्यक्षतः अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवम व्यक्तियों से भी सम्बन्धित हो गई है। यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी राज्य ही इसका मुख्य विषय है।

Scanned with CamScanner